म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक 44–13/2017/20–2 भोपाल दिनांक–17/12/2018 के तहत पूर्व प्रसारित आदेशों के अनुक्रम में
आदेश क्रमांक–(01) 44–15/20/2010/20–2 भोपाल दिनांक–09/11/2016
आदेश क्रमांक–(02) 44–13/17/20–2 भोपाल दिनांक–20/07/2017,
आदेश क्रमांक–(03) 44–15/20/2010/20–2भोपाल दिनांक–04/12/2017,
आदेश क्रमांक–(04) 44–13/2017/20–2 भोपाल दिनांक–07/07/2018
आदेश क्रमांक–(05) 44/13/2017/20–2 भोपाल दिनांक–30/10/2018
आदेश क्रमांक–(06) पत्र क्रमांक–IT/अति0शि0/ 2022–23/320 भोपाल दिनांक–13/07/2022

राज्य शासन के संदर्भित आदेशों एवं प्रशासक महोदय के अनुमोदन अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु विज्ञापन पत्र क्रमांक–नि0स0(आ0)/शिक्षा/न0नि0/2022/पी0आर0ओ/252 जबलपुर दिनांक–25/05/22 को विज्ञापन समाचार पत्रो में प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के तहत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये गये, शाला स्तर पर अतिथि शिक्षक वर्ग 01 एवं वर्ग 02 के हेतु जमा आवेदको के आवेदन में स्नातक/स्नातकोत्तर में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर चयन समिति के अनुमोदन से मेरिट सूची तैयार की गई थी,आयुक्त महोदय के अनुमोदन अनुसार मेयर इन कौसिंल की बैठक में पारित संकल्प क्रमांक–02 दिनांक–14/09/2022 में पारित प्रस्ताव के तहत नगर निगम जबलपुर द्वारा संचालित 05 उ0मा0शालाओं मे वर्ष 2022–23 में शिक्षको की कमी से पठन पाठन प्रभावित न हो इस हेतु शाला स्तर पर रिक्त पदो पर अतिथि शिक्षको के आमंत्रण की स्वीकृति शासन के नियमानुसार की गई। उक्त आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–11/10/18 के आदेश के संदर्भ मे की गई थी।

सत्र 2023–24 में उपरोक्त आदेशो के अनुसार अतिथि शिक्षको के ऑनलाइन आमंत्रण हेतु शालाओं में आवश्कता निम्नानुसार है।

क्र.	शाला का नाम	हाईस्कूल अतिथि शिक्षक वर्ग 02	हायर सेकेण्डरी अतिथि शिक्षक वर्ग 01	अतिथि शिक्षक वर्ग 01 एवं वर्ग 02 के कुल पद	गत वर्ष एवं वर्तमान सत्र में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की अनुमानित संख्या
01	एल.एन.यादव उ.मा.शाला करौंदी राझी	हिन्दी (1) गणित (1) सा0विज्ञान (1) संस्कृत (1)	हिन्दी (1) अंग्रेजी (1) रसायन शास्त्र (1), गणित (1) राजनीति शास्त्र (1) वाणिज्य (1) जीव विज्ञान (1)	–	450–600
		04	07	11	
02	नगर निगम कन्या उ.मा. शाला घमापुर	हिन्दी (1) सा0विज्ञान (1) विज्ञान (1)	हिन्दी (1) अंग्रेजी (1) अर्थ शास्त्र (1)	–	350–400
		03	03	06	
03	नगर निगम कन्या उ0मा0शाला गोविंदगंज	हिन्दी (1) संस्कृत (1) सा0विज्ञान (1) गणित (1)	हिन्दी (1) अंग्रेजी (1) इतिहास (1) राजनीति शास्त्र (1) अर्थ शास्त्र (1) वाणिज्य (1)	–	400–450
		04	06	10	
04	डॉ राजेन्द्र प्रसाद उ.मा. शाला ग्वारीघाट	हिन्दी (1) संस्कृत (1) गणित (1) विज्ञान (1) सा0विज्ञान (1)	अंग्रेजी(1)इतिहास (1) अर्थशास्त्र (1) वाणिज्य (1)	–	350–450
		05	04	09	
05	नगर निगम उ.मा.शाला तिलवाराघाट	संस्कृत (1) हिन्दी (1) गणित (1) सा0विज्ञान (1)	हिन्दी (1) अंग्रेजी (1) इतिहास(1) राजनीति शास्त्र (1) अर्थशास्त्र (1) वाणिज्य (1)	–	380–450
		04	06	10	
	कुल संख्या	20	26	46	

आमंत्रण किये जाने हेतु नियम व शर्तें–

01 हाईस्कूल हेतु अतिथि शिक्षक वर्ग 02 एवं हायर सेकेंण्डी हेतु वर्ग 01 की नियुक्ति रिक्त पदो पर की जानी है बजट सत्र–2014 में स्वीकृत व्याख्याता एवं उ0श्रे0शिक्षक के पदो के अनुसार की जावेगी।

02 अतिथि शिक्षक की व्यवस्था को पारदर्शी एवं उपयुक्त अभ्यार्थी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकिया को ऑनलाइन किया गया है।

03 म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक-44-2013/2017/20-1 दिनांक-17/12/2018 के अनुसार हाईस्कूल मे गणित विषय के लिए अर्हताओ मे अभ्यर्थी को गणित,भौतिकशास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिये अत: इंजीरियरिंग विषय मे स्नातक योग्यताधारी भी अतिथि शिक्षक वर्ग 02 गणित विषय के लिये पात्र होगे।

04 आवेदक एक ही शाला मे एक ही पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। हाईस्कूल हेतु अतिथि शिक्षक वर्ग 02 एवं हायर सैकेण्डी हेतु वर्ग 01 मे से केवल एक ही पद के हेतु आवेदन करेगे।

05 आवेदक पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड कर,स्नातक/स्नाकोत्तर एवं डी0एड0/बी0एड0 आदि के अंकसूची,आधार कार्ड छायाप्रति की संबंधित शाला प्राचार्य से मूल प्रति से मिलान करावेंगें।

06 म प्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक 44-15/2010/20-2 भोपाल दिनांक-23 नवम्बर 2010 के तहत हाईस्कूल हेतु आवेदक को संबंधित विषय में स्नातक द्वितीय श्रेणी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एवं हायर सेकेण्डरी हेतु संबंधित विषय मे स्नाकोत्तर द्वितीय श्रेणी में होना अनिवार्य है। हाईस्कूल हेतु अतिथि शिक्षक वर्ग 02 डी0एड0/बी0एड0 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एवं हायर सेंकेण्डी हेतु वर्ग 01 बी0एड0 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना आवश्यक है।

07 ऑनलाइन से प्राप्त आवेदनों को संस्था प्रमुख द्वारा मूल प्रमाण पत्र के साथ वेरिफिकेशन किया जावेगा एवं स्कोर की गणना की जावेगी। स्कोर की गणना का विस्तृत विवरण समसंख्यक आदेश दिनांक-04/12/2017 एवं 13/07/2022 के अनुसार होगी।

08 लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल के द्वारा जारी आदेश पत्र क्रमांक-IT/अति0शि0/2022-23/320 भोपाल दिनांक-13/07/2022 के अनुसार कंडिका 2.2 मे विद्यालयों मे उपलब्ध पैनल से गत वर्ष 2022-23 में कार्यरत् रहे अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित किया जावें। (प्रथम वरीयता)

वेबसाइट से स्कोर कार्ड निम्नानुसार प्राप्त होगा।

विद्यालय का स्तर	पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	प्रथम वरीयता		द्वितीय वरीयता			योग
		नगर निगम द्वारा संचालित शालाओं मे विगत वर्ष 2022-23 मे अतिथि शिक्षक के रूप मे कार्यरत रहे है?	नगर निगम द्वारा संचालित शालाओं मे विगत वर्ष 2022-23 मे कार्यरत अतिथि शिक्षक का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से अधिक है?	सेवानिवृत्त शिक्षक	डी0एड / बी0एड	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	
		हॉ/नही	हॉ/नही				
हाईस्कूल	स्नातक			100	100	प्रतिशत अंक	
उच्चतर माध्यमिक	स्नाकोत्तर						

09 ऑनलाइन से प्राप्त आवेदनों को स्कोर के आधार पर स्कूल स्तर पर मेरिट के आधार पर तैयार पैनल का अनुमोदन चयन समिति द्वारा किया जावेगा। तैयार पैनल में से गुणानुक्रम में सें आवेदकों को अध्यापन के लिये आमंत्रित किया जावेगा।

10 चयनित उम्मीदवारो को कोई नियुक्ति पत्र नही दिया जावेगा।

11 शाला प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक मे उपस्थिति के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जावेगा कि संबंधित के द्वारा किसी अन्य संस्था मे अतिथि शिक्षक के रूप मे कोई कार्य नही किया जा रहा है।

12 प्रथम वरियता:- नगर निगम द्वारा संचालित शालाओं मे विगत वर्ष 2022-23 मे अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे है एवं जिनका परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से अधिक रहा हो।

13 द्वितीय वरीयता-सेवानिवृत्त एवं प्रशिक्षित (डी0एड0/बी0एड0) (शासकीय,नगर निगम,आदिवासी विकास विभाग) की शालाओं के शिक्षकों को अधिकतम 65 वर्ष की उम्र की सीमा तक अवसर दिया जावेगा। सेवा अवधि मे कार्य संतोषप्रद रहा है,इस आशय का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी,शिक्षा अधिकारी नगर निगम,सहायक आयुक्त आदिवासी द्वारा जारी किया होना आवश्यक है।हाईस्कूल हेतु आवेदक को संबंधित विषय मे स्नातक डी0एड0/बी0एड0 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एवं हायर सेकेण्डरी हेतु संबंधित विषय के स्नाकोत्तर बी0एड0 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना आवश्यक है।

14 जिन अतिथि शिक्षक का विगत सत्र 2022-23 में नगर निगम जबलपुर की शालाओं में 72 दिवस या उससे ऊपर शिक्षण कार्य का अनुभव हो तथा विगत सत्र 2022-23 मे उनका परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से ऊपर रहा हो तो उन अतिथि शिक्षक को प्रथम वरीयता दिये जाने का प्रावधान है।

15 अतिथि शिक्षक हेतु राशि का व्यय बजट शीर्ष वेतन शिक्षा भत्ते मद से किया जावेगा।

16 चयनित अतिथि शिक्षको को किसी भी तरह के अवकाश के उपभोग की पात्रता नही होगी।

17 म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रसारित आदेश क्रमांक:–एफ–44/13/2017/20–2 भोपाल दिनांक:–30/10/2018 के अनुसार प्रत्येक अतिथि शिक्षक को प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 03 व अधिकतम 04 कालखंड अध्यापन कराने पर अतिथि शिक्षक वर्ग 02 को 75/–रूपये प्रति कालखंड की दर से अधिकतम अनुमानित मानदेय प्रतिमाह 7000/रूपये होगा एवं अतिथि शिक्षक वर्ग 01 को 90/– रूपये प्रति कालखंड की दर से अधिकतम अनुमानित मानदेय प्रतिमाह 9000/–रूपये होगा मानदेय भुगतान किये जाने शासन द्वारा आदेशित किया गया है इनके कालखंड की गणना शाला लगने के कार्य दिवस पर की जावेगी। (आदेश की प्रति संलग्न है)

18 म0प्र0शासन लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक:–समग्र शिक्षा/अतिथिशिक्षक/2020/3130 भोपाल दिनांक: –09/12/2020 के अनुसार मानदेय गणना की दृष्टि से अतिथि शिक्षको का मानदेय कालखंड के मान से निर्धारित है किन्तु यह अंतर्निहित है कि अतिथि शिक्षको को शाला समय मे उपस्थित रहना होगा तथा विषय के अध्यापन के अतिरिक्त अन्य अकादमिक कार्य यथा मूल्यांकन प्रायोगिक कार्य परीक्षा ड्यूटी इत्यादि भी करना होगा।

उपरोक्त दर्शाये विवरण अनुसार हाईस्कूल हेतु अतिथि शिक्षक वर्ग 02 के 20 एवं हायर सेकेण्डरी हेतु अतिथि शिक्षक वर्ग 01 के 26 इस तरह कुल 46 अतिथि शिक्षको का आमंत्रण 05 उ0मा0शालाओं मे सत्र जुलाई 2023 से अप्रेल 2024 तक 10 माह के लिए किया जाना प्रस्तावित है।